

कार्यालय : राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र.

सी-1, विक्रान्त खण्ड 1, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक : ५९१३/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./2013

दिनांक 19 मार्च, 2012

आदेश

आयोग में विचाराधीन सभी प्रकार के नवीन व पुराने वादों को निम्न श्रेणियों (Categories) में वर्गीकृत किया जाता है -

Category (1) - इन्श्योरेन्स कम्पनीज़ (Both Life Insurance & General Insurance)

Category (2) - 1. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट 2. मेडिकल नेग्लीजेन्स

Category (3) - 1. बैंक एवं फाईनैन्स कम्पनीज़ 2. रेलवेज 3. एयरलाइन्स
4. रोड ट्रान्सपोर्ट 5. एजुकेशन

Category (4) - 1. हाउसिंग (i. गवर्मेन्ट ii. प्राइवेट सोसायटीज़/बिल्डर्स)
2. टेलीकॉम 3. पोस्टल

Category (5) - विविध मामले (श्रेणी 1 से 4 में वर्गीकृत वादों के अतिरिक्त अन्य सभी मामले)

आयोग हेतु गठित पीठों के समक्ष उक्त श्रेणियों के मामलों समय-समय पर जारी आदेशानुसार सूचीबद्ध किये जायेंगे। यह वर्गीकरण आदेश दि. 1.4.2013 से प्रभावी होगा।


19.03.13
(न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि -

1. समस्त मा. सदस्यगण, राज्य आयोग।
2. सहायक निबन्धक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, राज्य आयोग।
3. वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1, मा. न्यायमूर्ति अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग।
4. कार्यालय अधीक्षक (अभिलेखागार/अधिष्ठान पटल), राज्य आयोग।
5. गार्ड फाइल (अधिष्ठान पटल), राज्य आयोग।
6. नोटिस बोर्ड।